परिशिष्ट 1 [5/12/2025]

प्रश्न सं. [क्र. 775]

E-Mail : gmrrdasheopur@rediffmail.com

कार्यालय महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

परियोजना क्रियान्वयन इकाई श्योपुर

श्रीमती मीरा गर्ग का मकान, बायपास रोड़, हॉस्पिटल के पास, श्योपुर (म.प्र.) — 476337

क्रमांक/MPRRDA/तक/2025/1844 श्योपुर दिनांक 18.11.25

प्रति,

कलेक्टर
जिला श्योपुर

विषय :- **विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 775 द्वारा माननीया श्री मुकेश मल्होत्रा के प्रश्न की जानकारी भेजने बावत।**

उपरोक्त विषयांकित प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, पीआईयू श्योपुर से संबंधित विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 775 द्वारा चाही गई जानकारी संलग्न कर उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रा.स.वि.प्राधिकरण
पीआईयू श्योपुर (म.प्र.)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल

मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अंतिम दिनांक 28.11.2025

वर्ग :– 4
सदन में उत्तर देने का दिनांक :– 05.12.2025
विभाग का नाम :– लोक निर्माण

विषय :– विजयपुर विधानसभा के ग्राम रानीपुरा माफी से ग्राम दॉती तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण बाबत् ।

(अतारांकित प्रश्न क्रमांक 775) श्री मुकेश मल्होत्रा

क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि –

प्रश्न	उत्तर
(क) प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रानीपुरा माफी से ग्राम दॉती तक कच्ची सड़क लगभग 15 कि.मी. है उक्त ग्रामों से 10 से 12 गांव लगे है। जिनको आने जाने में बहुत परेशानी होती है?	उक्त दोनों ग्राम विधानसभा क्षेत्र विजयपुर अन्तर्गत विकासखण्ड कराहल में आते है। ग्राम रानीपुरा माफी एवं ग्राम दांती को पीएमजीएसवाय–1 अन्तर्गत पैकेज क्र. एम.पी. 3710 में डामरीकृत मार्ग से जोड़ा जा चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा निर्देशानुसार एकल सम्पर्कता का प्रावधान है।
(ख) क्या उक्त ग्रामों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जोड़ने के लिए कोई कार्यवाही की गई है।	उक्त दोनों ग्राम पीएमजीएसवाय–1 अन्तर्गत डामरीकृत मार्ग से जोड़े जा चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा निर्देशानुसार एकल सम्पर्कता का प्रावधान है।
(ग) ग्राम रानीपुरा माफी से ग्राम दॉती तक की P.W.D एवं सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना कब तक जोड़ी जाएगी, यदि हां, तो कब तक समय सीमा बताए और नही तो क्यों?	उक्त दोनों ग्राम पूर्व से जुडे हुये ग्रामों की श्रेणी में होने के कारण एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में एकल सम्पर्कता का प्रावधान होने से पुनः इस कार्यालय द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाना संभव नहीं है।

महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रा.स.वि.प्राधिकरण
पीआईयू श्योपुर (म.प्र.)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल